पत्र संख्याः—15 / एम 1—49 / 2014 - 2463
शिक्षा विभाग,बिहार, पटना

प्रेषक,

निदेशक (उच्च शिक्षा),
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

कुलसचिव,
राज्य के सभी विश्वविद्यालय, बिहार।

पटना, दिनांक 29/12/2014

विषयः— महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय स्तर पर छात्र—छात्राओं को यातायात एवं सड़क सुरक्षा नियमों से अवगत कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रधान सचिव, परिवहन विभाग की अध्यक्षता में दिनांक—12.11.2014 को संपन्न बैठक में लिये गये निर्णय की छायाप्रति संलग्न करते हुए कहना है कि सुरक्षा कमेटी की बैठक में प्राप्त निर्देशों के आलोक में छात्र—छात्राओं को सड़क सुरक्षा नियमों से अवगत कराया जाना है।

अतः आपसे अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ शिक्षण संस्थानों में छात्र—छात्राओं को यातायात एवं सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए आवश्यक कारवाई की जाय।

विश्वासभाजन,

29/12/14

निदेशक (उच्च शिक्षा)
उच्च शिक्षा,शिक्षा विभाग
राजेश

चिट्ठी

पत्रांक-18 / बै0 06–20 / 2014– 68

58

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

प्रेषक,

आर0 के0 महाजन
प्रधान सचिव

सेवा में,

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
निदेशक, उच्च शिक्षा
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना

पटना, दिनांकः 24-11-2014

विषयः– विद्यालय / महाविद्यालय / विश्वविद्यालय स्तर पर छात्र–छात्राओं को यातायात एवं सड़क सुरक्षा नियमों से अवगत कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक सूचित करना है कि प्रधान सचिव, परिवहन विभाग के कार्यालय कक्ष में दि0 12.11.2014 एवं 17.11.2014 को आहूत 'सड़क सुरक्षा कमिटि' की बैठक में प्राप्त निर्देशों के आलोक में (बैठक की कार्यवाही/ प्रतिवेदन संलग्न) यातायात एवं सड़क सुरक्षा नियमों से छात्र–छात्राओं को अवगत कराया जाना है।

अतः अनुरोध है कि छात्र–छात्राओं को यातायात एवं सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूकता के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाय।

विश्वासभाजन

(आर0 के0 महाजन) 24/11/14

शिक्षा विभाग
बिहार, पटना
प्राप्ति संख्या 2740
दिनांक 27-11-14

7018
01/12/14

01.12.14

(57) (27)

दिनांक–12.11.2014 को प्रधान सचिव, परिवहन विभाग, बिहार की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में आहूत बैठक की कार्यवाही :–

प्रधान सचिव, परिवहन विभाग, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक–12.11.2014 को पूर्वाह्न 11.00 बजे रिट पेटिशन नं0–295/2012 के संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा कमिटी के Questionnaire के संबंध में उनके कार्यालय कक्ष में एक बैठक आहूत की गयी । बैठक में Questionnaire की बिन्दुवार समीक्षा की गयी तथा समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि पिछले विगत वर्षो में हुई सड़क दुर्घटनाओं एवं सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यकों की संख्या मे कोई खास अन्तर नहीं आई है । इस पर सभी सदस्यों द्वारा दुख प्रकट किया गया तथा Questionnaire से संबंधित प्रतिवेदन तैयार करने हेतु पथ निर्माण विभाग, पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, परिवहन विभाग को निर्देश दिया कि वे अगले बैठक दिनांक 17.11.2014 को अपने विभाग से संबंधित प्रतिवेदन समर्पित करेंगे ।

उपस्थिति पंजी के अनुसार ।

उक्त बैठक में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा कमिटी के Questionnaire के पूर्ण प्रतिवेदन तैयार करने तथा सड़क सुरक्षा संबंधी विभिन्न विषयों पर निम्नलिखित निर्देश दिये गये:–

1. ब्लैक स्पॉट पर बढ़ती दुर्घटनाओं पर खेद प्रकट करते हुए दुर्घटनाओं को रोकने हेतु सड़क के करवेचर्स या डिजाइन में आवश्यक सुधार करने तथा पथ निर्माण के सभी क्रासिंग पर इंडियन रोड कांग्रेस के मानक के अनुरूप साईनेज/मार्किंग लगाने का पथ निर्माण विभाग द्वारा सहमति व्यक्त की गयी ।
2. रोड सेफ्टी ऑडिट तथा सेफ्टी स्टैण्डर्स संबंधी प्रशिक्षण हेतु पथ निर्माण विभाग के अधीन एक सेल का निर्माण किया जाय जो रोड सेफ्टी के संबंध में अभियंत्रण पक्ष को प्राभावकारी बना सके, का भी निर्णय लिया गया ।
3. सड़क दुर्घटनाओं को रोकने हेतु खराब पड़े ब्रेथ एनालाइजर/एल्कोमीटर को जल्द ठीक कराने तथा पर्याप्त मात्रा में सभी जिला में उपलब्ध कराने का निर्देश पुलिस विभाग को दिया गया ।
4. अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा सड़क दुर्घटना संबंधी डाटा को इन्टीग्रेटेड करने तथा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार को उपलब्ध करायी जा रही 19 बिन्दु प्रतिवेदन परिवहन विभाग को भी उपलब्ध कराये जाने का निर्देश पुलिस विभाग को दिया गया।
5. यातायात से संबंधित घटनाओं का नियंत्रण करने हेतु पुलिस विभाग में एक अलग ट्रैफिक कैडर का निर्माण करने का निर्देश दिया गया ।

M.K.P-207